समाचार.प्रकाषनार्थरू.

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने निगम भवन पर ध्वजारोहण किया
निगम के कार्यपालन यंत्री व उपयंत्री हुए सम्मानित

रतलाम 27 जनवरी । 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने प्रातः 07ः30 बजे निगम भवन पर ध्वजारोहण किया। ध्वजारोहण पष्चात निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने निगम के अधिकारी एवं कर्मचारियों को 73 वें गणतंत्र दिवस की षुभाकामना देकर स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में रतलाम को नम्बर 1 बनाने हेतु सभी अधिकारी एवं कर्मचारियों से एकजुट होकर कार्य करने का आव्हान करते हुए कहा कि नगर निगम कम्प्यूटराईजए वॉकी टॉकीए जीपीएस तथा अन्य आधुनिक संसाधनों से लैस होकर रतलाम नगर को तेजी से विकास के पथ पर आगे बढ़ा रहा है। उन्होने कहा कि षहर समृद्ध होगा तो प्रदेष समृद्ध होगाए प्रदेष समृद्ध होगा तो देष समृद्ध होगा।
पुलिस लाईन पर आयोजित मुख्य समारोह में प्रभारी मंत्री माननीय श्री ओण्पीण एस भदौरिया ने कार्यपालन यंत्री श्री सुरेषचन्द्र व्यास को प्रधानमंत्री आवास योजना व उपयंत्री श्री बीण्एलण चौधरी को पेयजल व्यवस्था में उत्कृश्ट कार्य करने पर प्रषस्ती पत्र व षील्ड प्रदान कर सम्मानित किया।
इस अवसर पर उपायुक्त श्री विकास सोलंकीए कार्यपालन यंत्री श्री सुरेषचन्द्र व्यासए श्री मोहम्मद हनीफ षेखए स्वास्थ्य अधिकारी श्री जीण्केण जायसवालए सहायक यंत्री श्री ष्याम सोनीए लेखाधिकारी श्री विजय बालोद्राए सहायक स्वास्थ्य अधिकारी श्री एण्पीण सिंहए कार्यालय अधीक्षक श्री रामचन्द्र षर्मा सहित निगम के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।

नगर निगम के विभिन्न करों से 7ण्59 लाख हुआ राजस्व प्राप्त

रतलाम 27 जनवरी । संपत्तिकरए जलकरए लायसेंसए राजस्वए विकास षाखाए बिल्डिंग परमिषन के तहत नागरिकों द्वारा जमा कराये गये करो के तहत 25 जनवरी मंगलवार को कुल राषि रूपये 15ए53ए697ध्. का राजस्व प्राप्त हुआ।
नगर निगम के विभिन्न करों के तहत 25 जनवरी मंगलवार को संपत्तिकर षिविर से 159241ए कार्यालय 164280 कुल 323521ए जलकर षिविर 28140ए कार्यालय 33240ए वसूली दल 77160 कुल 138540ए विकास षाखा 400ए दुकान.गुमटी किराया 55380ए कम्पाउडिंग 237621ए गंदगी करने व बगैर मास्क वालो पर स्पॉट फाईन 3600 इस तरह कुल राषि रूपये 7ए59ए062ध्. का राजस्व निगम को प्राप्त हुआ।

रात्रिकालीन सफाई कार्य के अनुपस्थित 4 सफाई मित्रों का 7 दिवस का वेतन काटा सेवा से बर्खास्त किये जाने का जारी किया कारण बताओ सूचना.पत्र
तीन दिवस तक बिना सूचना के अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारी होंगे बर्खास्त

रतलाम 27 दिसम्बर । षहर को साफ.स्वच्छ व सुन्दर बनाये जाने हेतु नगर की 4 व 2 लेन सड़कए मुख्य सड़केए व्यावसायिक क्षेत्रए प्रमुख चौराहेए उद्यान आदि की रात्रीकालिन सफाई हेतु नियुक्त 100 सफाई मित्रों मे से 4 सफाई मित्रो द्वारा 26 जनवरी बुधवार को बिना सूचना के अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित रहने पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देषानुसार 7 दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्त किये जाने का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया।
रात्रिकालीन सफाई व्यवस्था के तहत 26 जनवरी बुधवार को विषाल.कैलाषए महेष. मिठ्ठूए संतोश.प्रभु व गौरव.राजेन्द्र द्वारा बिना सूचना के बिना सूचना के अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित रहने पर 7 दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्त किये जाने का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। बिना सूचना के लगातार तीन दिवस अनुपस्थित रहने वाले सफाई मित्रों को सेवा से बर्खास्त किया जायेगा।

3 कचरा संग्रहण वाहन चालकों का 7 दिवस का वेतन काटा

रतलाम 27 दिसम्बर । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया द्वारा वार्ड क्रमांक 8 की सफाई व्यवस्था के निरीक्षण के दौरान राधाकृशण मंदिर व टैंकर रोड क्षेत्र के रहवासियों द्वारा कचरा संग्रहण वाहन चालक द्वारा नियमित रूप से कचरा नहीं लिये जाने पर वाहन चालक जितेन्द्र जिन्दल का 7 दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्त किये जाने का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। इसके अलावा कचरा संग्रहण वाहन चालक नितिन.उंटवाल व प्रवीण.किषोर द्वारा बिना सूचना के कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित रहने पर 7 दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्त किये जाने का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया।

खुले में गंदगी करने पर 3 व्यक्तियों पर जुर्माना

मास्क नहीं लगाने पर 10 व्यक्तियों पर जुर्माना

नागरिक अनिवार्य रूप से मास्क लगायें

गंदगी करने वालो की सूचना स्पॉट फाईन दल को दें

रतलाम 27 जनवरी । कलेक्टर एवं प्रषासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरूशोत्तम के निर्देषानुसार नगर में ऐसे दुकानदार व नागरिक जो कि खुले में कचरा डालकर षहर को गंदा करते हैंए मलबा डालकर अतिक्रमण करते है उन पर लगाम लगाने हेतु संबंधितों पर स्पॉट फाईन की कार्यवाही की जा रही है जिसके तहत 27 जनवरी को 3 व्यक्तियों पर जुर्माना किया गया।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देषानुसार खुले में गंदगी करने पर प्रकाष गुलमोहर कॉलोनी पर 3000ए कस्तुरबा नगर में मधुकान्त पर 2000 व हितेन्द्र पर 1000 रूपये का स्पॉट फाईन कर भविश्य में गंदगी ना करने की समझाईष दी। इसके अलावा नगर विभिन्न क्षेत्रों में बिना मास्क वाले 10 व्यक्तियों पर 100.100 रूपये का स्पॉट फाईन पर मास्क अनिवार्य रूप से लगाने की समझाईष दी गई।

नगर निगम द्वारा नागरिकों से भी अपील की जाती है कि षहर को गंदा करने वाले नागरिकोंए दुकानदारों आदि की जानकारी सहायक स्वास्थ्य अधिकारी श्री एण्पीण सिंह मोण नंण 7471144930ए झोन प्रभारी श्री पर्वत हाड़े मोण नंण 7471144931ए श्री किरण चौहान मोण्नंण 7471144932ए श्री विनय चौहान मोण्नंण 8770535145ए श्री विराट मेहरा 9770326691ए स्पॉट फाईन दल के पवन झांझोट मोण्नंण 7000128812ए आकाष षिन्दे मोण्नंण 9424075393ए 7724981736 मनोज झांझोट मोण्नंण 6268449110ए राकेष ललावत मोण्नंण 7000128812 को देकर नगर को साफ.स्वच्छ बनाने में सहयोग प्रदान करें।

लक्कड़पीठा में आज लगेगा निगम का बकाया वसूली षिविर
नगर निगम द्वारा वार्ड वार बकाया वसूली षिविरो का आयोजन
नागरिकों ने उत्साह दिखाते हुए संपत्तिकर 55ण86 लाख व जलकर 11ण86 लाख की बकाया राषि जमा कराई

रतलाम 27 जनवरी । नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए निगम से संबंधीत करों को जमा कराने हेतु वार्ड वार बकाया वसूली षिविर आयोजित किये गये है जो 03 मार्च 2022 तक चलेंगे।
आयोजित षिविरों में नागरिक नगर निगम की बकाया संपत्तिकरणए जलकरए दुकानए गुमटी कितायाए लायसेंस षुल्क एवं विकास षाखा से संबंधित भवन की किष्त तथा भू.भाटक की बकाया राषि जमा करा सकेगें।
निगम द्वारा आयोजित षिविरों में नागरिकों ने उत्साह दिखाते हुए गांधीनगर षिविर में संपत्तिकर 3ए28ए822रू व जलकर 54ए850रूए मालवा नगर लक्ष्मणपुरा षिविर में संपत्तिकर 1ए62ए575रू व जलकर 34ए520रूए जवाहर नगर अम्बे माता मंदिर के पास षिविर में संपत्तिकर 3ए02ए013रू व जलकर 63ए450रूए विनोबा नगर षिविर में संपत्तिकर 1ए85ए292रू व जलकर 1ए19ए720रूए अलकापुरी कम्युनिटी हॉल षिविर में संपत्तिकर 3ए20ए857रू व जलकर 62ए950रूए तिरूपति नगर षिविर में

संपत्तिकर 1ए28ए977ध् **व जलकर** 28ए870ध्ए **कोमल नगर षिविर में संपत्तिकर** 2ए16ए000ध् **व जलकर** 14ए000ध्ए **इन्द्रलोक नगर मार्निंग स्टार स्कूल के पास षिविर में संपत्तिकर** 2ए51ए600ध् **व जलकर** 1ए04ए640ध्ए **कस्तुरबा नगर षिविर में संपत्तिकर** 8ए61ए206ध् **व जलकर** 1ए21ए090ध्ए **प्रियदर्षनी नगर षिविर में संपत्तिकर** 2ए14ए000ध् **व जलकर** 47ए000ध्ए **डोंगरे नगर षिविर में संपत्तिकर** 2ए54ए422ध् **व जलकर** 83ए700ध्ए **हाट रोड षिविर में संपत्तिकर** 1ए71ए500ध् **व जलकर** 27ए540ध्ए **कलीमी कालोनी षिविर में संपत्तिकर** 1ए96ए281ध् **व जलकर** 40ए240ध्ए **राजेन्द्र नगर षिविर में संपत्तिकर** 1ए45ए000ध् **व जलकर** 31ए760ध्ए **काटजू नगर षिविर में संपत्तिकर** 3ए36ए077ध् **व जलकर** 72ए440ध्ए **वेदव्यास कालोनी षिविर में संपत्तिकर** 98ए534ध् **व जलकर** 37ए465ध्ए **कल्याण नगर षिविर में संपत्तिकर** 87ए732ध् **व जलकर** 36ए660ध्ए **दीनदयाल नगर षिविर में संपत्तिकर** 2ए91ए455ध् **व जलकर** 92ए125ध्ए **बोहरा बाखल षिविर में संपत्तिकर** 4ए97ए298ध् **व जलकर** 64ए770ध्ए **रामगढ़ षिविर में संपत्तिकर** 1ए59ए241ध् **व जलकर** 28ए140ध् **की राषि जमा कराई।**

वार्ड वार आयोजित किये गये वसूली षिविरो के वार्ड क्रमांक 21 **व** 45 **के लिये** 28ए 29 **व** 31 **जनवरी को लक्कड़पीठा प्याऊ के पास**ए **वार्ड क्रमांक** 48 **व** 49 **के लिये** 1 **से** 3 **फरवरी तक आर्य समाज मंदिर धानमण्डी**ए **वार्ड क्रमांक** 40 **व** 41 **के लिये** 4 **से** 5 **फरवरी तक जूनी कोर्ट किरण टॉकिज**ए **वार्ड क्रमांक** 28ए 29ए 36ए 37 **व** 38 **के लिये** 7 **से** 8 **फरवरी तक लॉ कॉलेज आनंद कालोनी**ए **वार्ड क्रमांक** 28 **के लिये** 9 **फरवरी को प्रताप नगर उद्यान के पास**ए **वार्ड क्रमांक** 22 **के लिये** 10 **फरवरी को महावीर नगर**ए **वार्ड क्रमांक** 39ए 40 **व** 41 **के लिये** 11 **से** 12 **फरवरी तक पैलेस रोड तिराहा**ए **वार्ड क्रमांक** 25ए 26 **व** 27 **के लिये** 14 **फरवरी को चौगानिया भेरू**ए **वार्ड क्रमांक** 24ए 25 **व** 42 **के लिये** 15 **व** 16 **फरवरी को षिक्षा विभाग सायर चबुतरा**ए **वार्ड क्रमांक** 43 **व** 45 **के लिये** 17 **व** 19 **फरवरी तक चौमुखीपुल प्याऊ के पास**ए **वार्ड क्रमांक** 41 **के लिये** 21 **से** 22 **फरवरी तक बजाजखाना गणेष देवरी**ए **वार्ड क्रमांक** 33ए 34 **व** 35 **के**

लिये 23 व 24 फरवरी को षास्त्री नगर सेंट्रल बैंक के पासए वार्ड क्रमांक 33 व 34 के लिये 25ए 26 व 28 फरवरी को दो बत्ती चौराहाए वार्ड क्रमांक 30ए 31ए 32 व 34 के लिये 1 से 3 मार्च तक स्टेषन रोड दिलबहार चौराहे पर कार्यालयीन समय में षिविर आयोजित किये गये है।

निगम द्वारा जारी अपील में नागरिकों से अनुरोध किया गया है कि निगम द्वारा उक्त षिविर बकायादारों की सुविधा के लिए आयोजित किये गये है इन आयोजित षिविरों में बकायादार अपनी बकाया राषि जमा कर निगम को सहयोग प्रदान करें।

ष्वान पालकों को अपने ष्वान कराना होगा रजिस्ट्रेषन

2 से अधिक ष्वान का पालन नहीं कर सकेंगे

रतलाम 27 जनवरी । नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 355 व 356 के तहत नगरीय क्षेत्र रतलाम में निवासरत् ऐसे नागरिक जो कि अपने घरों में ष्वान पालते हैं उन्हे अब अपने ष्वान का रजिस्ट्रेषन कराना अनिवार्य होगा।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि नगरीय क्षेत्र अन्तर्गत ष्वान पालकों द्वारा अपने ष्वान को गले में बिना पट्टा डाले अथवा अन्य चिन्हों के बिना आवारा ष्वान की भांति छोड़ दिया जाा ह तथा आम नागरिकों में भय का वातावरण निर्मित होता है ऐसे ष्वानों एवं ष्वान मालिकों के लिये नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 355 व 356 के तहत अनिवार्य किया गया है।

ष्वान पालक को नगर पालिक निगम के स्वास्थ्य विभाग अन्तर्गत लायसेंस षाखा में प्रति ष्वान पंजीयन षुल्क रूपये 1000६ एवं लायसेंस षुल्क रूपये 500६ प्रति ष्वान तथा लायसेंस नवीनीकरण हेेतु प्रतिवर्श 100६ रूपये जमा कराना होगा। ष्वान पालकों को अधिकतम् 2 ष्वान पालने की अनुमति प्रदान की जावेगी।

नगर निगम द्वारा ष्वान पालकों से अपील की जाती है कि वे अपने ष्वान का रजिस्ट्रेषन नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत लायसेंस षाखा में अनिवार्य

रूप से करावें तथा अपने ष्वान के गले में पट्टा डालकर रखें व अन्य पहचान चिन्ह लगावें।

8570 पेंषन हितग्राहियों का हुआ भौतिक सत्यापन
पेंषन पाने वाले हितग्राही अपना भौतिक सत्यापन करवायें

रतलाम 25 जनवरी । रतलाम षहर के सामाजिक सुरक्षाए इंदिरा गांधी राश्ट्रीय वृद्धा पेंषनए राश्ट्रीय विधवा पेंषनए राश्ट्रीय निःषक्त पेंषनए सामाजिक सुरक्षा वृद्धा पेंषनए विधवा पेंषनए निःषक्त पेंषनए मानसिक बहुविकलांग पेंषन प्राप्त करने वाले हितग्राहियों का षासन निर्देषानुसार भौतिक सत्यापन किया जा रहा है जिसके तहत 27 जनवरी गुरूवार तक 8570 पंेषन हितग्राहियों का भौतिक सत्यापन कर 85ण्70 प्रतिषत कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

दो दिनों में 1ण्51 मिट्रिक टन से अधिक कचरा जुलवानिया पंहूचा

रतलाम 27 जनवरी । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देषानुसार नगर निगम के कचरा संग्रहण वाहनों के माध्यम से घर.घर से पृथक.पृथक एकत्रित किया जा रहे गीले.सूखे कचरे व सड़को व नाले.नालियों की सफाई के दौरान निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन वजन किया जाकर जुलवानिया टेªचिंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया जा रहा है जिसके तहत 26 व 27 जनवरी को 1ण्51 मिट्रिक टन से अधिक कचरा जुलवानिया टेªचिंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया गया।
26 व 27 जनवरी को डम्पर से 50935ए टेªक्टर से 33760ए काम्पेक्टर सूखा कचरा 30155 व काम्पेक्टर गीला कचरा 36750 इस तरह कुल 151800 किलो कचरा जुलवानिया टेªचिंग ग्राउण्ड पंहूचाया गया।

2751 हितग्राही पीएम स्वनिधी के ब्याज मुक्त ऋण से लाभान्वित हुए
स्वरोजगार ऋण से 104 हितग्राही हुए लाभान्वित

पथ विक्रेता 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करें

रतलाम 27 जनवरी । नगरीय क्षेत्र रतलाम के ऐसे पंजीकृत एवं पात्र पथ विक्रेता जिन्हे प्रथम कार्यषील पूंजी हेतु ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त नहीं हुआ है तथा जिन्होने प्रथम कार्यषील पूंजी का ऋण जमा करा दिया है उन्हे संकल्प से सिद्धी विषेश अभियान के तहत 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने हेतु नगर निगम द्वारा निगम के झोन कार्यालयों पर ऑन लाईन आवेदन भरे जा रहे हैं।
निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि प्रथम कार्यषील पूंजी हेतु 2560 हितग्राहियों को राषि रूपये 10ए000ध् तथा द्वितीय कार्यषील पूंजी हेतु 191 हितग्राहियों को राषि रूपये 20ए000ध् ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया गया है। एनयूएलएम स्वरोजगार ऋण योजना में 101 हितग्राहियों व एनयूएलएम स्वरोजगार समूह ऋण योजना में 3 समूह को ऋण उपलब्ध कराया गया है।
पथ विक्रेताओं को ब्याज मुक्त ऋण के लिये ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु आवष्यक दस्तावेज के रूप में बैंक पास बुकए आधार कार्डए पथ विक्रेता पंजीयन कार्ड व आधार लिंक से मोबाईल नम्बर साथ लाना होगा।

अनुमति के बिना मुख्य सड़कों के किनारे निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर नगर निगम करेगा तोड़ने की कार्यवाही
15 हजार रूपये प्रति घंटे के मान से तोड़ने की राषि होगी वसूल

रतलाम 27 जनवरी । षहर की मुख्य सड़के सैलाना रोडए सागोद रोडए महू रोडए स्टेषन रोड सहित अन्य सड़को के किनारे नगर निगम की बिना अनुमति के निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर उन्हे तोड़ने की कार्यवाही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देषानुसार गठित दलो के द्वारा प्रारंभ की जा रही है साथ ही संबंधितों से 15 हजार रूपये प्रति घन्टे के मान से तोड़ने की राषि वसूल की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया नगर निगम के गठित दलो को निर्देषित किया है षहर की मुख्य सड़कों के किनारे नगर निगम की बिना अनुमति निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर तोड़ने की कार्यवाही प्रतिदिन की जाये व संबंधितों से 15 हजार रूपये प्रति घन्टे के मान से तोड़ने की राषि वसूल की जाये।
नगर निगम द्वारा बिना अनुमति के निर्माण तोड़ने की कार्यवाही की जा रही है नागरिकों से अपील है कि वे अनुमति के बिना निर्माण कार्य ना करें।

नागरिक व दुकानदार कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन करें

रतलाम 27 जनवरी । कलेक्टर एवं प्रषासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरूशोत्तम के निर्देशानुसार रतलाम जिले में कोरोना संक्रमण को नियंत्रण करने हेतु कोविड अनुकूल व्यवहार अनिवार्य किया गया है।
निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने नागरिकोंए दुकानदारोए व्यावसायिक प्रतिश्ठान मालिकों से अपील की है कि सही तरीके से मास्क लगायें एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रूप से करें। दूकानों एवं सार्वजनिक स्थानों में 6 नागरिकों से अधिक लोग एकत्रित नहीं होवें। नियमों का पालन अनिवार्य रूप से कर कानूनी कार्यवाही से बचें।

गीला व सूखा कचरा पृथक.पृथक नहीं लेने पर कर्मचारियों के विरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 27 जनवरी । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कचरा संग्रहण वाहन के ड्रायवरए हैल्परए वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारियों को निर्देषित किया है कि वे नगर के प्रत्येक घरए दुकान आदि से प्रतिदिन गीला व सूखा कचरा पृथक.पृथक कचरा संग्रहण करना सुनिष्चित करें अन्यथा ड्रायवरए हैल्परए वार्ड प्रभारी व संबंधित झोन प्रभारी पद से हटाने व बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया यदि किसी भी वार्ड में मिक्स कचरा लेते हुए या कचरा संग्रहण वाहन में मिक्स कचरा डालते हुए पाये जाने पर संबंधित कर्मचारी को पद से हटाने व सेवा से बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। इसके अलावा उन्होने निर्देषित किया कि प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घरए दुकानए गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक.पृथक कचरा लिया जाये।

प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घरए दुकानए गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक.पृथक कचरा लिये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देषित किया कि दोनो पालियों मंे वार्ड में कचरा संग्रहण वाहन जायेंगे तथा जब तक पुरे वार्ड से 100 प्रतिषत कचरा संग्रहित नहीं कर लिया जाता तब तक वाहन निगम के वर्कषॉप में जमा ना करायें। निगम आयुक्त श्री झारिया ने वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारी को निर्देषित किया है कि वे प्रतिदिन प्रमाणित करेंगे कि उनके वार्ड से 100 प्रतिषत कचरा उठ चुका है।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के विरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 27 जनवरी । स्वच्छ सर्वेक्षण.2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर.1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ़ संकल्पित हैए जिसके तहत वार्डो की सड़कए गलीए सार्वजनिक स्थलए नाले.नालियों आदि समुचित सफाई हेतु झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डो में गंदगीए कचरे के ढेरए नाले. नालियों में कचरा पाये जाने पर संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।
वार्डो की समुचित साफ.सफाई का दायित्व झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पुरी निश्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डो में साफ.सफाई नहीं पाई जाती है तो संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

समाचारध्जण्संण्विण्ध्हेमन्तध्27ण्01ण्2022ध्नण्पाण्निगमए रतलामण्